न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—238/2018/223 (2018/00238)

1. मोहनलाल पुत्र सुवालाल, जाति ब्राहमण्, निवासी मेवदाखुर्द, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. घीसालाल पुत्र रेवता गुर्जर, निवासी मेवदाखुर्द, तहसील केकडी, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 21.6.2018 अंतर्गत वाद संख्या 1457/2017.

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एवं श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 25.08.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राज0काश्त0अधि0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 243 रकबा 0.28 हैव0 वाके ग्राम मेवदाखुर्द, तह0 केकड़ी में अवस्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कयशुदा आराजी है । जिसमें वादी का 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है एवं इसी अनुसार काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी में वादी के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा पहुंचाने व जबरन बेदखल करने की धमकियां देता है । अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का बंटवारा किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.2018 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. रेस्पो0 संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम व रिकार्ड तथा प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 10.11.2017 को अपीलांट की ओर से अभिभाषक नियुक्त कर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् दिनांक 15.12.2017, 20.8.2017 एवं 26.4.2018 पत्रावली वास्ते तलबी एवं जवाबदावा में विचाराधीन रही । राजस्व लोक अदालत में बिना अपीलांट को कोई सूचना दिये अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुने बिना रेस्पो0 संख्या 1/वादी का वाद गैर कानूनी रूप से डिक्री कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि राजस्व लोक अदालत में केवल वे ही प्रकरण निर्णित किये जाते है जिनमें दोनों पक्ष सहमत हो तथा दोनों पक्षों को विधिवत् सूचना दे दी गई हो । प्रस्तुत प्रकरण में न तो अपीलांट को राजस्व लोक अदालत बाबत् कोई सूचना ही दी गई एवं न ही अपीलांट की सहमति राजस्व लोक अदालत में प्रकरण नियत किये जाने बाबत् थी । ऐसी स्थिति में बिना पक्षकारों की सहमति के राजस्व लोक अदालत में प्रकरण तय नहीं किया जा सकता था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय की प्रथम दो पंक्तियों में प्रतिवादीगण की उपस्थिति अंकित की है लेकिन अपीलांट की उपस्थिति बिना किसी आधार पर पर दर्ज की गई है जबकि अपीलांट को न तो राजस्व लोक अदालत बाबत् कोई सूचना दी गई एवं न ही अपीलांट राजस्व लोक अदालत में प्रकरण को निर्णित करवाने हेतु सहमत ही था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट/प्रतिवादी की उपस्थिति अंकित कर वाद को निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी का जवाब लिया जाता है तत्पश्चात् प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत किया जाता है एवं साक्ष्य वादी के पश्चात् साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किया जाता है एवं दस्तावेजों को प्रदर्शित करने के पश्चात् तनकीयात कायम करने के पश्चात् प्रकरण का निर्णय किया जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में अधी0न्याया0 ने जाप्ता दीवानी एवं राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए प्रावधानों के विपरीत बिना साक्ष्य के रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । खसरा नंबर 243 एवं रास्ते की बीच में जो भूमि है वह अपीलांट के बाड़े की भूमि है एवं उस भूमि के लगवा 1/2 हिस्से पर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है । यदि अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलांट अपने प्रकरण में संपूर्ण दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रकरण की पैरवी करता लेकिन अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना कोई जवाब एवं साक्ष्य का अवसर दिये अपीलांट की पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जबकि यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक सह खातेदार दूसरे सहखातेदार को निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करवा सकता है । उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । विद्वान अभिभाषक अपीलांटस का मुख्य कथन रहा है कि अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 10.11.2017 को अपीलांट की ओर से अभिभाषक नियुक्त कर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् दिनांक 15.12.2017, 20.8.2017 एवं 26.4.2018 पत्रावली वास्ते तलबी एवं जवाबदावा में विचाराधीन रही । राजस्व लोक अदालत में बिना अपीलांट को कोई सूचना दिये अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुने बिना रेस्पो0 संख्या 1/वादी का वाद गैर कानूनी रूप से डिक्री कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि राजस्व लोक अदालत में केवल वे ही प्रकरण निर्णित किये जाते है जिनमें दोनों पक्ष सहमत हो तथा दोनों पक्षों को विधिवत् सूचना दे दी गई हो । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.2018 को कैम्प कोर्ट में निर्णित की गई है । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 10.11.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पेशी को प्रतिवादी की ओर से श्री मगनलाल लोधा अधिवक्ता ने पॉवर पेश किया तथा पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 15.12.2017 को नियत की गई । इसके उपरांत पेशी दिनांक 19.12.2017, 20.2.2018 एवं 26.4.2018 तक पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी विचाराधीन रही तत्पश्चात् दिनांक 21.6.2018 को कैम्प कोर्ट में रखी जाकर वाद को निर्णित किया गया है । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 21.6.2018 पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखे जाने के संबंध में अपीलांटस को कोई नोटिस जारी किया गया हो । हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से भी सहमत है कि कैम्प कोर्ट में केवल वे ही प्रकरण रखे जा सकते है जिनमें पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया हो तथा दोनों पक्ष सहमत हो । हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं जिससे यह सिद्ध हो कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा होकर सहमत हो। इसके अभाव में हस्तगत प्रकरण को कैम्प कोर्ट में निर्णित किया जाना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.2018 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6. 2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर